न्यायालयः सत्र न्यायाधीश, गाजियाबाद।

उपस्थितः विनोद सिंह रावत (उच्चतर न्यायिक सेवा)

J.O. Code – UP1893

स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र संख्या–201/2026

कंप्यूटर रजि० नं० 408/2026

CNR No.UPGZ010056462026

मनरीत कौर.....बनाम.....उ०प्र०सरकार

दिनांकः22–05–2026

1– आवेदिका/अभियुक्ता के द्वारा यह स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट गाजियाबाद के न्यायालय में विचाराधीन वाद सं० 19191/2023 (मु०अ०सं० 1633/2022) सरकार बनाम मनरीत कौर को उक्त न्यायालय से वापस लेकर किसी अन्य न्यायालय में अंतरित किए जाने हेतु इस कथन के साथ प्रस्तुत किया गया है कि उक्त वाद साक्ष्य के स्तर पर चल रहा है परंतु न्यायालय में नियुक्त अभियोजन अधिकारी, वादी से हितबद्ध होकर उक्त पत्रावली में व्यक्तिगत रूचि ले रहे हैं तथा बिना किसी माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के पत्रावली दिन प्रतिदिन की नजदीक की तिथियां लगाकर आवेदिका/अभियुक्ता को तंग व परेशान कर रहे हैं जबकि अभियोजन अधिकारी जानते हैं कि आवेदिका/अभियुक्ता पंजाब में रहती है तथा जल्दी–जल्दी न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हो सकती है। अग्रेतर यह कहा गया कि सम्बंधित न्यायालय के पीठासीन अधिकारी उक्त पत्रावली पर कार्य करने के लिए एकपक्षीय रूप से कभी 3 बजे कभी 4.30 बजे दबाव देकर कार्य करते हैं और अभियोजन अधिकारी उक्त पत्रावली को सम्बंधित पीठासीन अधिकारी के चैम्बर में बार–बार ले जाकर कार्यवाही कराते हैं तथा आवेदिका/अभियुक्ता न्यायालय कक्ष में खड़ी रहती है जिससे आवेदिका/अभियुक्त को यह जानकारी नहीं रहती कि पत्रावली पर क्या कार्य हो रहा है। यदि उक्त पत्रावली का विचारण इसी तरह चला तो आवेदिका/अभियुक्ता न्याय से वंचित रह जाएगी जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी सूरत में नहीं हो सकेगी। अतः निवेदन किया गया है कि उक्त पत्रावली को किसी अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित कर दिया जाए।

2– स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र पर विपक्षी की ओर से मौखिक आपत्ति करते हुए यह कथन किया गया कि उक्त स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र असत्य कथनों के आधार पर प्रस्तुत किया गया है। यह भी कहा गया कि स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किए जाने के बाद से आवेदिका/अभियुक्ता के अधिवक्ता की ओर से निरंतर स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किए जा रहे हैं जिससे यह प्रकट होता है कि आवेदिका/अभियुक्ता की ओर से मात्र वाद के निस्तारण को विलंबित करने के उद्देश्य से यह स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र न्यायालय में योजित किया गया है। अतः स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र निरस्त किए जाने की याचना की गयी है।

3– स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट गाजियाबाद की आख्या

Digitally signed by Vinod Singh Rawat
Date: 2026.05.25 12:56:53 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

आहूत की गयी, जिनके द्वारा अपनी आख्या में यह कहा गया है कि वाद सं० 19191/2023 (मु०अ०सं० 1633/2022) सरकार बनाम मनरीत कौर आदि धारा–420,406,506,386 भा०द०सं० थाना कविनगर की पत्रावली उनके न्यायालय में विचाराधीन है, जिसमें दिनांक 06–01–2026 को अभियोजन साक्ष्य समाप्त होने के उपरांत पत्रावली वास्ते बयान अभियुक्तगण अंतर्गत धारा–313 द०प्र०सं० दिनांक 09–01–2026 नियत की गयी। उक्त तिथि को अभियुक्तगण की ओर से हाजरी माफी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया तथा पुनः दिनांक 12–01–2026, 28–01–2026 व 30–01–2025 को भी हाजरी माफी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किए गए जबकि न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने हेतु आदेशित किया गया था। आख्या में अग्रेतर यह कहा गया कि दिनांक 06–02–2026 को अभियुक्त गुरमीत कौर की ओर से आरोप पत्र में वर्णित धाराओं को विलुप्त किए जाने हेतु एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा–216 द०प्र०सं०प्रस्तुत किया गया जो आरोप विरचित होने के उपरांत विधितः पोषणीय न होने के कारण दिनांक 10–03–2026 को निरस्त किया गया। तत्पश्चात् दिनांक 17–03–2026 को पुनः अभियुक्त मनरीत कौर की ओर से धारा–216 द०प्र०सं० का प्रार्थना पत्र समान तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत किया गया जिसे पुनः गुण–दोष पर सुनवाई के उपरांत 22–04–2026 को निरस्त किया गया। इस प्रकार बचावपक्ष द्वारा जानबूझकर तरह–तरह से वाद के निस्तारण में विलंब करने का प्रयास किया जा रहा है। अंतरण प्रार्थना पत्र में न्यायालय के विरूद्ध लगाए गए आरोपों को असत्य, कपोल कल्पित एवं निराधार होना कहा गया।

4– प्रार्थी के द्वारा स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र में मात्र यह आधार लिया गया है कि वाद सं० 19191/2023 सरकार बनाम मनरीत कौर आदि में न्यायालय में नियुक्त अभियोजन अधिकारी, वादी से हितबद्ध होकर उक्त पत्रावली में व्यक्तिगत रूचि ले रहे हैं तथा बिना किसी माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के पत्रावली पर दिन प्रतिदिन की नजदीक की तिथियां लगाकर आवेदिका/अभियुक्ता को तंग व परेशान कर रहे हैं जबकि आवेदिका/अभियुक्ता पंजाब में रहती है। यह भी कहा गया कि सम्बंधित न्यायालय के पीठासीन अधिकारी उक्त पत्रावली पर कार्य करने के लिए एकपक्षीय रूप से कभी 3 बजे कभी 4.30 बजे दबाव देकर तथा अभियोजन अधिकारी उक्त पत्रावली को सम्बंधित पीठासीन अधिकारी के चैम्बर में बार–बार ले जाकर कार्यवाही कराते हैं। यदि पत्रावली को सम्बंधित न्यायालय से अन्यत्र स्थानान्तरित नहीं किया गया तो आवेदिका/अभियुक्ता न्याय से वंचित रह जाएगी जबकि पीठासीन अधिकारी द्वारा आहूत आख्या में अंतरण प्रार्थना पत्र में लगाए गए आरोपों को असत्य, कपोल कल्पित एवं निराधार होने का कथन करते हुए यह उल्लिखित है कि उक्त पत्रावली दिनांक 09–01–02026 से अभियुक्तगण के बयान अंतर्गत धारा–313 द०प्र०सं० में नियत है, जिसमें अभियुक्तगण की ओर से निरंतर तीन तिथियों पर हाजरी माफी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किए गए। तत्पश्चात् दिनांक 06–02–2026 को अभियुक्त गुरमीत कौर की ओर से आरोप पत्र में वर्णित धाराओं को विलुप्त किए जाने हेतु प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा–216 द०प्र०सं० प्रस्तुत किया गया जिसे निरस्त किए जाने के पश्चात् पुनः दिनांक 17–

03–2026 को अभियुक्ता मनरीत कौर की ओर से धारा–216 द०प्र०सं० के अंतर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जो दिनांक 22–04–2026 को निरस्त किया गया जो यह दर्शाता है कि अभियुक्तगण जानबूझकर वाद के निस्तारण को विलंब करने का प्रयास कर रहे हैं।

5– यहाँ यह उल्लेखनीय है कि आवेदिका/अभियुक्ता की ओर से इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 01–05–2026 को स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, उसके पश्चात् निरंतर दिनांक 12–05–2026,14–05–2026, 16–05–2026 एवं तत्पश्चात् दिनांक 20–05–2025 को न्यायालय में नियत प्रत्येक तिथि पर किसी न किसी आधार पर स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिससे प्रथम दृष्टया यह स्पष्ट होता है कि आवेदिका/अभियुक्ता द्वारा मात्र मुकदमे के निस्तारण को विलंबित करने के आशय से यह स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

अतः मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों एवं स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र में उल्लिखित आधार के दृष्टिगत् पत्रावली को अन्यत्र स्थानान्तरित किए जाने का कोई पर्याप्त आधार नहीं है। तदनुसार स्थानान्तरण प्रार्थनापत्र निरस्त किया जाता है।

(विनोद सिंह रावत)
सत्र न्यायाधीश
गाजियाबाद।

दिनांक 22.05.2026